न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 17/16 तारीख रजू 12.04.16

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर।
–आवेदक

बनाम

धीरज कुमार जैन पुत्र बाबू लाल जैन (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) मैसर्स जैन ट्रेडर्स ई0एस0आई0डिस्पेंसरी के सामने बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर निवासी राजश्री कलेक्शन बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर।
–अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 21.1.19

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 29/10/2015 को 02:00 पी.एम. पर मैसर्स – जैन ट्रेडर्स ई0एस0आई0डिस्पेंसरी के सामने बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पर पहुँचा वहां पर धीरज कुमार जैन पुत्र बाबू लाल जैन (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) उम्र 35 वर्ष जाति जैन निवासी राजश्री कलेक्शन बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर उपस्थित मिला को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की छाया प्रति पेश की तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ खोया (मावा) 21 किलाग्राम फ्रीज में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य करोबार कर्त्ता धीरज कुमार जैन पुत्र बाबू लाल जैन ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सेन वाहन चालक कार्या0 मु0 चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/3447 दिनांक 30/11/2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस 3218/एक्ट/2015/1823 दिनांक 06/11/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) अनसेफ पाया गया है। उक्त रिपोर्ट से अभियुक्त सतुष्ट न होने पर अभियुक्त के आवेदन पर पुनः उक्त खाद्य पदार्थ रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद भेजा गया। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जांच सर्टि0नं0/165/feb/16-Raj दिनांक 26.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्तें नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है।

उक्त प्रकरण में विक्रेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ खोया (मावा) विक्रय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)) खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का विकय व निर्माण करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अभियुक्त की फर्म खाद्य पदार्थ मावा, पनीर का निर्माण करती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभियुक्त की है। अभियुक्त की फर्म खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों एवं विनियमों की पूर्ण पालना करती है। जिसके अन्तर्गत उक्त खाद्य पदार्थ मावा जिसका नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था वह क्वालिटी के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाई गई है। अभियुक्त ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 49 व मौके पर तैयार की गई फर्द के अनुसार अभियुक्त का व्यवसाय लघु व्यवसाय की श्रेणी में मानते हुए इस प्रकरण में न्यूनतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक गाजियाबाद से प्राप्त रिपोर्ट सं0 सर्टि0नं0/165/feb/16-Raj दिनांक 26.02.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)) पाया गया है तथा अभियुक्त ने अपनी बहस में स्वयं अपना जुर्म स्वीकार किया है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का विकय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत 5,000 रूपये (पांच हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक के जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.1.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर